

आर टी आई स्पीड पोस्ट
अवर सचिव
UNDER SECRETARY

R- 92/Dir(A&V)/13

01/04



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/2/2013-14

03 अप्रैल, 2013

श्रीमती श्यामला मोहन
निदेशक/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2399/RTI/2013
12/4/13

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदया,

संलग्न पत्र श्री सुरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री विदिशी विश्वकर्मा, r/o जयसिंहपुर खुर्द, थाना जयसिंहपुर, पो. महमूदपुर सेमरी, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का दिनांक 29 मार्च 2013 का पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने रूपये दस का पो.आ. संख्या 08F 243728 संलग्न कर सरकारी कानून व्यवस्था एवं प्रशासन पर कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र का विषय गृह मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है। अतः इनका पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्रवाई से आवेदक को सूचित करने का कष्ट करें तथा अधोहस्ताक्षरी को भी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

20/1/13 (A&V) - on leave
USC (A&V)

11/4/13
US (RTI)

12/4/13
S-(A&V)

Return to VP's for
Information and
Views of this
Secretary

21.2.13

सेवा में

माननीय उपराष्ट्रपति महोदय
भारत, दिल्ली

विषय — प्रार्थना पत्र बाबत सूचना माने वाले अन्तर्गत धारा 617
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 तथा धारा 35D भारतीय संविधान
राष्ट्रपति महोदय प्रश्न निम्नलिखित हैं—



प्रश्न 1 यह कि इस बात का कोई ठोस साक्ष्य आमके मास कबों नहीं है कि भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी आनों के आनादमष्टों, भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी सर्किलों के सी.ओ., भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी जिलों के मुखिस उधीक्षक अपने/आफिस में शिकायतकर्ता/मीडित एम्पकित के साथ मिलवत तरीके से येश आते हैं, सम्मान के साथ येश आते हैं उन्हें मारते मीरते नहीं हैं उन्हें गाली नहीं देते हैं उनसे रिश्त नही लेते हैं उनकी पूरी बातें सुनते हैं उन्हें डांटते फटकारते नहीं हैं आनादमष्ट किसी भी एम्पकित को न्याय देने की बात करके आने में बुलाकर अनावश्यक 151 G.P.C. में चाखान तो नहीं करना है आनादमष्ट किसी भी एम्पकित को न्यायालय के आदेश के बगैर 24 घंटे से आधीक आने मर नहीं शेकता है कबों कि आने की सारी खिय मदी (G.P.) सब आनादमष्ट द्वारा व उसके मार्गदर्शन में होती है तथा साथ ही साथ सभी आधिकारियों के आफिसों की खिया मदी उन्ही के मार्गदर्शन में होती है न कि बीडियो रिकार्डिंग स्वचाखित बीडियो रिकार्डर द्वारा की जाती है न ही प्रत्येक दिन की दिन भर की कार्यवाही का प्रसारण टेलीविजन मर किया जाता है, न ही जनता द्वारा आधिकारियों के सी.यू.जी. नंबर मर की गभी बात नीत की रिकार्डिंग स्वचाखित एम्पस्था द्वारा की जाती है न ही भारत के सभी विभागों के लिए भारतीय मारतरीता कानून है ?

प्रश्न 2, यह कि निम्नलिखित के समथ (नौकरी जवाहन करते समथ) भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी आनों के आनादमष्टों, भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी सर्किलों के सी.ओ., भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी जिलों के मुखिस उधीक्षकों व उनके माता, पिता, बीबी, बच्चों के मास कुल जितनी बख-अचख सम्मति थी, आज दिनांक 26.01.13 को कुल जितनी बख-अचख सम्मति है, आज दिनांक 26.01.13 को बख के हिसाब से कुल जितनी बख-अचख सम्मति होनी चाहिए उसका ठौरा हमें कबों न दिमा जाय साथही साथ जिसकी सम्मति आय से अधिक मापी जाती है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही विभिन्न विधियों के तहत कबों न की जाय ?

Surendra
Yishwarkumar

प्रश्न 3. यह कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन आज तक भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी ग्रामों व मुहल्ला कार्यालयों में वीडियो रिकार्डिंग नहीं लगाया गया न ही अधिकारियों के सी. यू. जी. नंबरों पर की गयी बातचीत की रिकार्डिंग रखी जाती है. न ही प्रत्येक दिन भारत देश के सभी ग्रामों में व मुहल्ला अधीक्षक लोक शिकायत प्रकोष्ठ में की गयी कार्यवाही का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता है। भारत देश के प्रत्येक ग्रामों, सर्किलों व मुहल्ला कार्यालयों में तत्काल स्वचालित वीडियो रिकार्डिंग कर्मों न लगाया जाय तथा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन 24 घंटे तक की गयी कार्यवाही का टेलीविजन पर प्रसारण कर्मों न किया जाय ?

प्रश्न 4. यह कि भारत देश के प्रत्येक प्रान्तों के सभी ग्रामाहमणों व सी. डी. तथा मुहल्ला अधीक्षकों व उनके माता, पिता, बीबी बच्चों के सभी बैंक खातों की प्रत्येक माह जाँच कर्मों न किया जाय ?

प्रश्न 5. यह कि भारत के प्रत्येक ग्रामाहमणों व मुहल्ला अधीक्षकों का वेतन यदि भ्रम की अपेक्षा कम है तो इसके विषय में तत्काल उचित कार्यवाही कर्मों न की जाय ?

माननीय अन्वययते महोदय आसे निवेदन है

कि जबाब 30 दिन के भीतर देने की कृपा करें। 30 दिन के बाद प्रथम क्षमिष (धारा 19) / शिकायत (धारा 18(i)) की अपेक्षा।

संलग्नक

भारतीय पोस्टल ऑडिट
10 रुमा

संख्या 08F 243728

आवेदक

Surendra Vishwakarma
s/o Videshi Vishwakarma

R/o Jaisinghpur Khurd

PS Jaisinghpur

Post - Mahmoodpur Samari

Dist. - Sultanpur (UP)

Pin - 228142

M.N. - 09532699410

Date - 29.03.13

No.A-43020 / 01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated the 22nd April, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Information sought by Shri Surendra Vishwakarma under the Right to Information Act, 2005.

Reference is invited to the Vice-President's Secretariat's letter No. VPS-55/01/RTI/2/2013-14 dated 03/04/2013 vide which the application dated 29/03/2013 of Shri Surendra Vishwakarma was transferred under Section 6 (3) of the RTI Act, 2005 to this Ministry (received on 11/04/2013).

2. It is observed that in the application Shri Vishwakarma has not sought any specific information, as available in this Ministry. He has simply made statements/conjectures and raised questions on some situations thereby seeking the views/opinion of the CPIO. All of these do not come under the definition of information as specified under Section 2 (f) of the RTI Act, 2005.

3. Since the information sought by Shri Surendra Vishwakarma is outside the scope and ambit of the RTI Act, 2005, the transfer of the application is not acceptable to this Ministry. In view of this, the application dated 29/03/2013 is returned in original.

Encl :As above.

(Srinivas Pradhan)
Deputy Secretary (E) & CPIO

Shri Mahitab Singh,
Under Secretary & CPIO
Vice-President's Secretariat
New Delhi

Copy for information to:

Shri Surendra Vishwakarma, Jaisingpur Khurd, Post Mahmoodpur Sanari,
Distt. Sultanpur – 228142, Uttar Pradesh.

